न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः **मनोज गोयल** अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4488—अध्यक्ष / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—11—2013 पारित द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 5 / अ—70 / 12—13

- 1 मोहनलाल आत्मज गोपालदास उम्र करीब 50 साल
- महेश कुमार उम्र करीब 40 साल आत्मज गोपालदास साहू दोनों निवासी सेमरी हरचंद तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद

......आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 रमेश चन्द्र आत्मज छगनलाल
- 2 गोविन्द आत्मज छगनलाल
- 3 दिनेश कुमार आत्मज छगनलाल निवासी ग्राम सेमरीहरचंद तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
- 4 जगदीश प्रसाद आत्मज छगनलाल उम्र करीब 42 साल निवासी सेमरीहरचंद तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, अनावेदकगण

<u>ः आ दे शः</u> (आज दिनांक ६/*४)*/५ को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 30—11—2013 के क्रिक्ट प्रस्तुत की गई है।

ood

- 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बाबई के समक्ष अनावेदक कमांक 4 जगदीश द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मोजा खारदा स्थित भूमि खसरा नंबर 99/1 क उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिसके भाग 0.55 डिसमिल पर गोपालदास एवं महेशकुमार साहू द्वारा अवैध अतिकमण किया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि से अवैध अतिकमण हटाया जाये । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक2 महेश कुमार द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि गोपालदास द्वारा उसके दोनों पुत्र आवेदकगण मोहनलाल एवं महेशकुमार के मध्य बंटवारा कर दिया गया है, इसलिय उनका नाम प्रकरण से विलोपित किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2013 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–70/12–13 दर्ज कर दिनांक 30–11–2013 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।
- 3/ प्रकरण दिनांक 1—7—2015 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि अनावेदकगण की ओर से पूर्व में लिखित तर्क प्रस्तुत हो चुके है और आवेदकगण के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर किया जा रहा है ।
- 4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :--
- (1) कलेक्टर द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि ग्राम खरदा की भूमि सर्वे कमांक 99 / 1—क रकबा 6.75 एकड़ के गोपालदास भूमिस्वामी है और उनके द्वारा दिनांक 23—12—2011 को अपने दोनों पुत्रों के मध्य बंटवारा कर दिया गया है तथा उनका नाम राजस्व अभिलेख से भी पृथक होकर आवेदकगण का नाम दर्ज हो गया है । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

030

- (2) कलेक्टर द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया है कि जब गोपालदास का प्रश्नाधीन भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य नहीं रह गया है तब उनका नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाना आवश्यक है । अतः कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है ।
- (3) कलेक्टर द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया है कि गोपालदास की उम्र लगभग 75 वर्ष हो गई है और उन्हें आखों से दिखाई नहीं देता है, इसी कारण उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।
- 4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :--
- (1) संहिता में वर्ष 1983 के पश्चात संशोधन किये गये और उक्त संशोधन के अनुसार संशोधन पंजी के माध्यम से बंटवारा करने के अधिकार समाप्त कर दिये गये । वर्तमान प्रकरण में भी वही स्थिति है कि गोपाल दास साहू के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही को विफल करने के लिये महेश कुमार एवं मोहनलाल के नाम भूमि दर्ज करा दी गई तािक न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान किया जा सके ।चूिक बंटवारे का कोई प्रकरण धारा 178 संहिता के तहत कायम नहीं किया गया और न ही हितधारी पक्षकारों को सूचित किया गया, ऐसी स्थिति में हितधारी पक्षकारों को सुने बगैर तथा विधि की प्रक्रिया के बगैर प्रकरण कायम किये संशोधन वैधानिक नहीं हैं । वैसे भी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रकरण लंबन के दौरान किया गया अंतरण कोई प्रभाव नहीं रखता, क्योंकि धारा 52 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट दिया गया है कि वह कार्यवाही संस्थित की गई और तब तक चलता हुआ समझा जायेगा जब तक कि वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिकी या आदेश द्वारा न हो गया हो और उक्त डिकी या आदेश का उन्मोचन या तुष्टि अभिप्राप्त न कर ली गई हो ।
- (2) वर्तमान प्रकरण में भी धारा 129 संहिता की सीमाकन कार्यवाही के पश्चात आदेश की तुष्टि की धारा 250 की कार्यवाही में कब्जा लेने के पूर्व नहीं होती है, ऐसी स्थिति में धारा 250 संहिता की कार्यवाही की तुष्टि से पूर्व किया गया अंतरण अवैधानिक है और वह विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है । उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा दिया

000

गया निष्कर्ष पूर्ण रूप से औचित्य पूर्ण होकर वैधता लिये हुये है और उक्त आदेशों में स्वमेव पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 2 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि गोपालदास द्वारा उनके दोनों पुत्रों और आवेदकगण के मध्य बंटवारा कर दिया गया है, अतः उनका नाम विलोपित किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31—8—2013 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि गोपालदास अभी जीवित है और प्रश्नाधीन भूमि पर उन्हीं का कब्जा है तथा प्रश्नाधीन भूमि पर किसका कब्जा है, गोपालदास को प्रमाणित करना है, आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा भी इसी आशय का निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष गोपालदास पक्षकार है और वे अभी जीवित है, अतः उनका नाम विलोपित नहीं करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, आवेदकगण का स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने का अनुरोध अस्वीकार कर निगरानी निरस्त की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं। दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—11—2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

255

(मनोज गोयल) अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर